

दिनांक

आदेश

०१  
२०१५

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री बीरसिंह सुन्डी, पिता/पति – स्व० सिदिज सुन्डी, ग्राम– पता गुईरा, थाना– मुफसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– पता गुईरा, थाना नं०–६६७, खाता न०–४५, प्लॉट न०–४५५ १६४१ १६४२, कमशः– ०.०५, ०.४५ एवं ०.६०एकड़ कुल रकवा–१.१०एकड़ भूमि क्रेता १.श्री महेन्द्र देवगम,२.श्री मनीष कुमार देवगम,३.संजय देवगम, तीनों के पिता/पति– स्व० बिरसा देवगम, ग्राम– पता गुईरा, थाना– मुफसिल, के पास मैं बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा ४६(१)परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा एवं अन्य के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक १३२६, दिनांक २४.१२.२०२० के द्वारा प्राप्त है। गृह निर्माण एवं सरकारी ऋण चुकाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता १.श्री महेन्द्र देवगम,२.श्री मनीष कुमार देवगम,३.संजय देवगम, तीनों के पिता/पति– स्व० बिरसा देवगम, ग्राम– पता गुईरा, थाना– मुफसिल, के पास ३,८०,०००.००/- (तीन लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र। मैं बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी २.५० एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता श्री बीरसिंह सुन्डी, पिता/पति – स्व० सिदिज सुन्डी, ग्राम– पता गुईरा, थाना– मुफसिल, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– पता गुईरा, थाना नं०–६६७, खाता न०–४५, प्लॉट न०–४५५ १६४१ १६४२, कमशः– ०.०५, ०.४५ एवं ०.६०एकड़ कुल रकवा–१.१०एकड़, भूमि को क्रेता १.श्री महेन्द्र देवगम,२.श्री मनीष कुमार देवगम,३.संजय देवगम, तीनों के पिता/पति– स्व० बिरसा देवगम, ग्राम– पता गुईरा, थाना– मुफसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा ४६(१)परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।